उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग–1

संख्या–163 /सत्तर–1–2020–20(1)/2019

लखनऊ : दिनांक :25 जनवरी, 2020

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) की धारा 59 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ग) में 'नगरीय क्षेत्र' के सम्बन्ध में 'स्पष्टीकरण' निर्गत किये जाने विषयक अधिसूचना संख्या–76/सत्तर–1–2020–20(1)/2019 दिनांक 25 जनवरी, 2020 की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली–110001
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/कार्मिक, उत्तर प्रदेश शासन।
3– प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4– अपर मुख्य सचिव, मा0 कुलाधिपति, राजभवन, उ0प्र0।
5– सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
6– सचिव, एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजशाह कोटला मार्ग, नई दिल्ली–110002
7– सदस्य सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21 राउज एवेन्यू, उर्दूघर मार्ग, नई दिल्ली–110002
8– रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
9– रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ।
10– कुलपति/कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
11– कुलसचिव, समस्त निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
12– निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
13– अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त सम्बन्धित को अधिसूचना परिचालित करने का कष्ट करें।
14– निजी सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
15– निजी सचिव, उप मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
16– समस्त अधिकारी/अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
17– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 अमित भारद्वाज)
संयुक्त सचिव।

2

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–1
संख्या–76 / सत्तर–1–2020–20(1) / 2019
लखनऊ : दिनांक :25 जनवरी, 2020

अधिसूचना

चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु नये निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने और विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को निगमित करने तथा उनके कृत्यों को विनियमित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम दिनांक 01 सितम्बर, 2019 को प्रवृत्त हुआ है;

और चूँकि उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ख) में यह उपबन्ध है कि प्रायोजक निकाय को विश्वविद्यालय के लिये चिह्नित नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम बीस एकड़ अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में पचास एकड़ की संलग्न भूमि धारित करनी होगी किन्तु 'नगरीय क्षेत्र' की परिभाषा को उक्त अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया है;

और चूँकि उक्त अधिनियम में 'नगरीय क्षेत्र' परिभाषित न होने के कारण निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नये प्रस्तावों का निस्तारण करने में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है।

अतएव अब, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2019) की धारा 59 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह निदेश देती हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 3 के खण्ड (ख) में अग्रतर आदेशों तक निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जाना प्रभावी होगा :–

''स्पष्टीकरण – इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये 'नगरीय क्षेत्र' का तात्पर्य नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं महानगरीय क्षेत्र; आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अधिसूचित विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद्, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र और औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अधिसूचित औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र से है।''

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव

Uttar Pradesh Shasan
Uchcha Shiksha Anubhag-1

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.76/70-1-2020-20(1)/2019, dated January 25, 2020

Notification

No.76/70-1-2020-20(1)/2019
Lucknow : Dated: January 25 , 2020

WHEREAS the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (Uttar Pradesh Act, 2019 No-12 of 2019) has been enacted to provide for establishment of new private universities and incorporation of existing private Universities in the State of Uttar Pradesh for imparting higher education and to regulate their functions and for matters connected therewith or incidental thereto. The said Act has come into force on September 1, 2019;

And whereas clause (b) of section 3 of the said Act inter alia provides that the sponsoring body shall possess contiguous land of minimum 20 acres in urban areas or 50 acres in rural areas earmarked for the university, but the definition of 'urban area' has not been included in the said Act;

And whereas difficulty has been arisen in disposal of new proposals of establishing private universities received by the State Government due to the want of definition of 'urban area' in the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers under section 59 of the Uttar Pradesh Private Universities Act, 2019 (Act No-12 of 2019), the Governor is pleased to direct that clause (b) of section 3 of the said Act shall have effect with the insertion of the following explanation till further orders:-

"Explanation-For the purposes of this clause 'Urban Area' means the area of a Municipal Corporation, a Municipal Council, a Nagar Panchayat and a Metropolitan Area notified by Urban Development Department, a Development Authority, Area of a Housing Board, a Special Area Development Authority, a Viniyamit Kshetra notified by Housing and Urban Planning Department or an Industrial Development Authority notified by Industrial Development Department."

By Order,

(Rajendra Kumar Tiwari)
Apar Mukhya Sachiv

D:\S O NEW\Private Uni. guidelines\Urban Area Defination/Notification